



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 251]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 22, 2011/पौष 1, 1933

No. 251]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 22, 2011/PAUSA 1, 1933

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2011

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

(कर्मचारी भविष्य निधि) [संशोधन] विनियम, 2011

एफ. सं. मासंवि वि सं. 3617/स्टाफ सामान्य (2).—भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 (1989 का 39) की धारा 52 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के निदेशक मंडल ने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (कर्मचारी भविष्य निधि) विनियम, 1990 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन किए हैं :-

1. ये विनियम भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (कर्मचारी भविष्य निधि) [संशोधन] विनियम, 2011 कहे जाएंगे।
2. ये विनियम 01 जून 2011 से प्रभावी होंगे।
3. भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (कर्मचारी भविष्य निधि) विनियम, 1990 के विनियम 13 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

“लघु उद्योग बैंक प्रत्येक छमाही की समाप्ति पर प्रत्येक अभिदाता के नाम जमा रकम पर उस दर से ब्याज क्रेडिट करेगा, जो इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए विनियमों, बनाई गई योजनाओं, दिए गए निर्देशों के अनुसार अन्य भविष्य, चेरिटेबल, धार्मिक तथा न्यास एवं अर्द्ध न्यास निधियों में निवेश से प्राप्त हो सकने वाले प्रतिफल को मद्देनजर रखते हुए लघु उद्योग बैंक द्वारा निर्धारित की जाएगी, बशर्तें उक्त ब्याज दर राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा अपनी कर्मचारी भविष्य निधि के संबंध में अनुमन्य दर से निम्नतर नहीं होगी। ऐसे ब्याज की गणना प्रत्येक अभिदाता के खाते के मासिक इतिशेषों पर निकटतम रुपये तक की जाएगी और उसे खातों में छमाही आधार पर 31 मार्च तथा 30 सितंबर को जोड़ा जाएगा।

ऊपर किसी भी बात के उल्लिखित होते हुए भी, यदि किसी वर्ष में लघु उद्योग बैंक की भविष्य निधि कॉर्पस पर प्रतिफल (yield) उस राशि से कम रहता है, जो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की ब्याज दर के आधार पर अदा की जानी अपेक्षित है, तो लघु उद्योग बैंक द्वारा निदेशक मंडल का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।”

सुशील मुहनोट, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

[विज्ञापन-III/4/139-ए/11-असा.]

**SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA  
NOTIFICATION**

New Delhi, the 21st December, 2011

**The Small Industries Development Bank of India**

**(Employees' Provident Fund) [Amendment] Regulations, 2011**

**F. No. HRDD No. 3617/Staff General (2).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 52 of the Small Industries Development Bank of India Act, 1989 (39 of 1989), the Board of Directors of the Small Industries Development Bank of India hereby makes the following amendments to the Small Industries Development Bank of India (Employees' Provident Fund) Regulations, 1990, namely :-

1. These Regulations may be called the Small Industries Development Bank of India (Employees' Provident Fund) [Amendment] Regulations, 2011.
2. These Regulations shall come into force with effect from June 01, 2011.
3. Regulation 13 of the Small Industries Development Bank of India (Employees' Provident Fund) Regulations, 1990 shall be substituted with the following :-

“The Small Industries Bank shall credit interest on the amount standing to each subscriber's credit at the end of every half-year at a rate which shall be fixed by the Small Industries Bank having regard to the return which can be obtained on the investment of other provident, charitable, religious and trust and quasi trust funds in accordance with the regulations, schemes or directions made, framed or given by the Central Government in this behalf, provided that the rate of interest shall be not lower than the rate allowed by National Bank for Agriculture and Rural Development in respect of its Employees' Provident Fund. Such interest shall be calculated to the nearest rupee on the monthly products of each subscriber's account and shall be applied to the accounts half yearly as at the 31st March and 30th September.

Notwithstanding anything contained hereinabove; if in any year, the yield on the PF corpus of Small Industries Bank is lower than that required to be paid based on National Bank for Agriculture and Rural Development's rate of interest, prior approval of the Board shall be obtained by the Small Industries Bank”

SUSHIL MUHNOT, Chairman & Managing Director

[No. ADVT. III/4/139-A/11-Exty.]